दो दिवसीय

राष्ट्रीय कार्यशाला

"जम्मू-कश्मीर : तथ्य, समस्या एवं समाधान"

28-29 नवंबर, 2017

कार्यक्रम स्थल - बिलासा सभागार, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर

:: आयोजक ::

[illegible]

एवं

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.)

मुख्य-संरक्षक
प्रो. जी.डी. शर्मा, कुलपति
[illegible]
एवं
[illegible]
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

संरक्षक
डॉ. इन्दु अनंत, कुलसचिव
[illegible]
एवं
[illegible]
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

संयोजक
[illegible]
बिलासपुर विश्वविद्यालय, शिक्षण विभाग

सह-संयोजक
[illegible]
एवं
[illegible]
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

आयोजन-सचिव
[illegible]
शा.ई.रा.रा. विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर

आयोजन सह-सचिव
[illegible]
एवं
[illegible]
बिलासपुर विश्वविद्यालय, शिक्षण विभाग

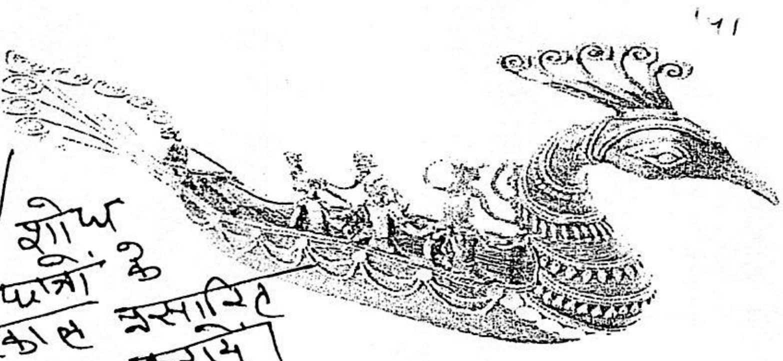

विश्वविद्यालय के संबंध में

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर राज्य शासन के राजपत्र द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के तहत् माह जून 2012 को स्थापित किया गया।

बिलासपुर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर संभाग के 05 राजस्व जिले क्रमशः बिलासपुर, मुंगेली, जाँजगीर-चाम्पा, कोरबा तथा रायगढ़ सम्मिलित है। वर्तमान में बिलासपुर विश्वविद्यालय पुराना हाईकोर्ट भवन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर में स्थित है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में कुल 168 शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की गई है, जो बिलासपुर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। इन संबद्ध महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि एवं शिक्षा विषय से संबंधित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के अध्ययन एवं शोध कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा की गई है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। राज्य में इस विश्वविद्यालय के छः क्षेत्रीय-केन्द्र - बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अम्बिकापुर तथा जशपुर एवं एक उप-क्षेत्रीय केन्द्र - कांकेर में है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में विश्वविद्यालय के 181 अध्ययन-केन्द्र संचालित है। विश्वविद्यालय इन केन्द्रों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा-प्रणाली के आधार पर राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक गुणवत्तायुक्त उच्च-शिक्षा प्रदान कर रहा है।

कार्यशाला के संबंध में

राष्ट्र की सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। राष्ट्र की सरहदे सुरक्षित रहे, इसके लिये समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सजग रहना अपेक्षित है। इस दिशा में भारत का अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष अनेक चुनौतियां एवं समस्याएं है। इन समस्याओं में बड़ी समस्या, जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति देश के प्रचलित त्रुटिपूर्ण जानकारियां एवं भ्रांतियां है। जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में तथ्य परक एवं सत्य जानकारी समाज में सम्प्रेषित हो, ताकि सामाजिक जागरण के द्वारा इन चुनौतियों एवं समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय एकीकरण का भाव पैदा हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये, जम्मू-कश्मीर, तथ्य, समस्या एवं समाधान विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित है। कार्यशाला में जम्मू-कश्मीर का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, भौगोलिक महत्व, कानूनी प्रावधान आदि विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जावेगा।

विश्वविद्यालय के संबंध में

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर

बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर राज्य शासन के राजपत्र द्वारा छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के तहत् माह जून 2012 को स्थापित किया गया।

बिलासपुर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बिलासपुर संभाग के 05 राजस्व जिले क्रमशः बिलासपुर, मुंगेली, जाँजगीर-चाम्पा, कोरबा तथा रायगढ़ सम्मिलित है। वर्तमान में बिलासपुर विश्वविद्यालय पुराना हाईकोर्ट भवन, गांधी चौक के पास, बिलासपुर में स्थित है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में कुल 168 शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की गई है, जो बिलासपुर विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। इन संबद्ध महाविद्यालयों में कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधि एवं शिक्षा विषय से संबंधित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों के अध्ययन एवं शोध कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की स्थापना छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा की गई है। इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य है। राज्य में इस विश्वविद्यालय के छः क्षेत्रीय-केन्द्र - बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, अम्बिकापुर तथा जशपुर एवं एक उप-क्षेत्रीय केन्द्र - कांकेर में है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में विश्वविद्यालय के 181 अध्ययन-केन्द्र संचालित हैं। विश्वविद्यालय इन केन्द्रों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा-प्रणाली के आधार पर राज्य के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक गुणवत्तायुक्त उच्च-शिक्षा प्रदान कर रहा है।

कार्यशाला के संबंध में

राष्ट्र की सम्प्रभुता, एकता एवं अखण्डता की रक्षा करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का परम राष्ट्रीय कर्तव्य है। राष्ट्र की सरहदे सुरक्षित रहे, इसके लिये समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सजग रहना अपेक्षित है। इस दिशा में भारत का अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष अनेक चुनौतियां एवं समस्याएं है। इन समस्याओं में बड़ी समस्या, जम्मू-कश्मीर राज्य के प्रति देश के प्रचलित त्रुटिपूर्ण जानकारियां एवं भ्रांतियां है। जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में तथ्य परक एवं सत्य जानकारी समाज में सम्प्रेषित हो, ताकि सामाजिक जागरण के द्वारा इन चुनौतियों एवं समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय एकीकरण का भाव पैदा हो। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये, जम्मू-कश्मीर, तथ्य, समस्या एवं समाधान विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित है। कार्यशाला में जम्मू-कश्मीर का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व, अंतर्राष्ट्रीय महत्व, भौगोलिक महत्व, कानूनी प्रावधान आदि विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जावेगा।

पंजीयन शुल्क विवरण

क्र.	प्रतिभागी	25 नवंबर तक	25 नवंबर के पश्चात
1	शिक्षक, स्नातकोत्तर एवं शोध छात्र	400/- रूपये 800	600/- रूपये 700

पंजीयन शुल्क निम्नानुसार तीन माध्यमों में जमा किया जा सकता है

(i) डिमांड ड्रॉफ्ट के माध्यम से :- कुलसचिव बिलासपुर वि.वि. के पक्ष में बिलासपुर में देय

(ii) NEFT के माध्यम से:-

नाम - कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर
बैंक का नाम - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बिलासपुर (छ.ग.)
खाता क्रमांक - 423801010036431
आई.एफ.एस.सी. -UBIN0542385

(iii) विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में स्थित वित्त विभाग के काऊंटर में कार्यालयीन समय में जमा कर।

उपरोक्त तीनों में से किसी एक माध्यम से पंजीयन शुल्क जमा कर अपना नाम, महाविद्यालय का नाम तथा जमा की गई राशि तथा डी.डी.नं./NEFT Reference No./रसीद क्रमांक इत्यादि ई-मेल gkkaiwartya220@gmail.com पर अनिवार्यतः नियत तिथि के पूर्व प्रेषित करें।

D.D. के माध्यम से पंजीयन शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में मूल डी.डी. कार्यशाला दिवस को पंजीयन काऊंटर में जमा करें।

आवास व्यवस्था

आवास व्यवस्था हेतु प्रतिभागियों को नियत तिथि दिनांक 27/11/2017 के पूर्व मो.नं. 98271-50512 पर संपर्क कर, करना होगा। जिस हेतु आवश्यक राशि प्रतिभागियों द्वारा ही वहन की जावेगी।

पंजीयन एवं अन्य विवरण हेतु संपर्क सूत्र

डॉ. एच.एस. होता, संयोजक
मो.नं. - 94252-22658
डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
मो. नं. - 92297-030[illegible]
डॉ. [illegible]

80,000

9826989300.